न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 26 / 2018 (राजसमन्द डिकी)

प्रकाशचन्द्र पिता मोहनलाल जी कलाल, निवासी सिंहाड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी मांगीलाल जी टांक (कलाल), निवासी सिंहाड़ हाल निवासी रतनजीत कॉम्पलेक्स, महावीर विद्या मंदिर के पीछे, सेक्टर नंबर 13, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)
2. पुष्कर मांगीलाल जी टांक (कलाल), निवासी सिंहाड़ हाल निवासी रतनजीत कॉम्पलेक्स, महावीर विद्या मंदिर के पीछे, सेक्टर नंबर 13, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती सोनु (पिता मांगीलाल जी) पत्नी रमेशचन्द्र जी टांक, निवासी बावडी वाला, बस स्टैण्ड के पास, मोही, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती इन्दु पिता मांगीलाल जी टांक (कलाल) पत्नी विकी जी कलाल (टांक), निवासी बावडी वाला, बस स्टैण्ड के पास, मोही, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. सुश्री साक्षी मांगीलाल जी टांक (कलाल), निवासी सिंहाड़ हाल निवासी रतनजीत कॉम्पलेक्स, महावीर विद्या मंदिर के पीछे, सेक्टर नंबर 13, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)
6. मदनलाल पिता मोहनलाल जी कलाल (टांक), आर टी.डीसी के पास, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. जमनालाल पिता मोहनलाल जी कलाल (टांक), आर टी.डीसी के पास, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान

का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी

उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा दिनांक

25–06–2010 प्रकरण सं. 74/09

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री खेमराज डांगी अभिभाशक अपीलान्ट

2. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रे॰सं॰ 1, 2, 5

3. श्री अशोक टांक अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 6

4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

29–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस पकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के पूर्वाधिकारी द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध, विभाजन कब्जा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेड़ा में स्थित आराजी नंबर 1552 व 1660 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी की होकर प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। अतः वादग्रस्त भूमियों का विभाजन किया जाकर विवादित भूमि में वादी को 1/4 हिस्से का वास्तविक आधिपत्य वादी को दिलाया जाकर राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति के आधार पर दिनांक 23–06–2010 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर दिनांक 25–06–2010 को डिकी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–05–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 5 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री अशोक टांक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष

रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अपनी खातेदारी भूमि की नकल की आवश्यकता होने पर नकल लेने हेतु दिनांक 02–04–2018 को पटवारी के पास गया तो उसे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकोरी हुई। अपील जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत कर दी गयो है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त डिक्री सहमति के आधार पर जारी हुई है, जिस पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं। अपील करीब 8 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इतने लम्बे समय के विलम्ब का जो कारण लिया गया है व न तो उचित है, न ही पर्याप्त। अतः अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि उक्त अपील करीब 8 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा अपीलान्ट ने जो कारण अपने आवेदन में दर्शाये हैं व न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त, क्योंकि पर्चा मौका व फर्द बंटवाड़े पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं तथा उक्त डिक्री सहमति के आधार पर जारी की गयी है। तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 23–06–2010 व डिक्री दिनांक 25–06–2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

प्रकाशचन्द्र पिता मोहनलाल कलाल, मांगीलाल	बनाम	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी
निवासी सिंहाड़, तहसील नाथद्वारा, सिंहाड़ हाल		टांक (कलाल) नि0
जिला राजसमन्द महावीर		रतनजीत कॉम्पलेक्स
सेक्टर न.13		विद्यामंदिर के पीछे,
अन्य		हिरणमगरी, उदयपुर व

अपील नं॰.....26 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....नाथद्वारा..... मुकाम.....मुवर्खे.....25.....माह..... 06.....2010

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....29....माह.....07.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री खेमराज डांगी.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री अशोक टांक

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 23–06–2010 व डिक्री दिनांक 25–06–2010 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....29.....माह.....07... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।